न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 56 / 2016

अपीलाण्ट्स

1. पेमाराम पुत्र हकमा
2. दुर्गाराम पुत्र दीपा
3. झालाराम पुत्र आशाराम
4. भैराराम पुत्र सदा
5. नारायण पुत्र कोला
6. राजाराम पुत्र वोराराम
7. भंवरी पत्नी वोराराम
8. चौथी पत्नी तुलसा
9. देवाराम पुत्र भानाराम
10. मांगीलाल पुत्र पुखराज
11. छैलाराम पुत्र पन्नाराम
12. गोगी पत्नी पन्नाराम
13. अणची पत्नी कोला
14. पूनमराम पुत्र वोराराम
15. जमनीबाई पत्नी वोराराम
16. कुकी देवी पत्नी वोराराम
17. पुकाराम पुत्र आशाराम
18. डायाराम पुत्र घीसाराम
19. वीरमराम पुत्र घीसाराम
20. शेषाराम पुत्र घीसाराम
21. कालुराम पुत्र लकमा
22. अमरदीप पत्नी लकमा
23. गंगाराम पुत्र रूपा
24. रूगाराम पुत्र नेमाराम
25. मांगीलाल पुत्र नेमाराम
26. राजाराम पुत्र वोराराम
27. पानीदेवी पत्नी चेलाराम
28. भगा पुत्र हेमाजी
29. मीरा पुत्र उदाजी
30. ढगला पुत्र हेमाजी
31. दौला पुत्र हेमाजी
32. देवाराम पुत्र गोमाराम

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. नंदाकंवर पुत्री शक्तिराजसिंह
2. हिम्मतकंवर उर्फ नेमाकंवर पुत्री शक्तिराजसिंह
3. भावनाकंवर पुत्री शक्तिराजसिंह
4. प्रियंका कंवर पुत्री शक्तिराजसिंह
5. महीपालसिंह पुत्र शक्तिराजसिंह
6. रविन्द्रसिंह पुत्र शक्तिराजसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण सवराड़ तहसील मारवाड़ जंक्शन
7. शारदा सालंकी पत्नी रमेशलाल जाति रावणा राजपूत निवासी सोजतरोड़ तहसील सोजत
8. दिलीपकुमार पुत्र सोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बगडी नगर तहसील सोजत
9. भल्लाराम पुत्र वनाराम जाति सीरवी निवासी बगडी नगर तहसील सोजत
10. घेवरराम पुत्र बाबूलाल जाति लौहार निवासी सोजतरोड़
11. रमेश पुत्र चोलाराम जाति माली
12. भुण्डाराम पुत्र घीसाराम
13. केवलराम पुत्र घीसाराम
14. डूंगाराम पुत्र बुद्धाराम
15. उम्मेदाराम पुत्र बुद्धाराम
16. रमेश पुत्र बुद्धाराम
17. सुरेश पुत्र बुद्धाराम
18. ताराचन्द पुत्र पन्नाराम
19. हीरालाल पुत्र पन्नाराम
20. तेजा पुत्र दीपा
21. कोला पुत्र दीपा के का0मु0

21.1 जोराराम पुत्र कोला

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

21.2 पेपीदेवी पुत्री कोला
21.3 गोगीदेवी पुत्री कोला
21.4 धापुदेवी पुत्री कोला
21.5 प्रेमीदेवी पुत्री कोला
22. वोराराम पुत्र आशाराम के का0मु
22.1 जोराराम पुत्र वोराराम
22.2 भंवरीदेवी पुत्री वोराराम
22.3 फुलीदेवी पुत्री वोराराम
23. देवाराम पुत्र आशाराम के का0मु0
23.1 चुन्नीलाल पुत्र देवाराम
23.2 रूपाराम पुत्र देवाराम
23.3 मिश्रीदेवी पुत्री देवाराम
23.4 चरणीदेवी पुत्री देवाराम
23.5 भंवरीदेवी पुत्री देवाराम
23.6 पुकीदेवी पुत्री देवाराम
24. सेणीदेवी पुत्री आशाराम
25. कुकीदेवी पुत्री आशाराम
26. सेसाराम पुत्र आशाराम
27. मेगा पुत्र हेमा
28. गमना पुत्र हेमा
29. तारीया पुत्र सदा
30. अमृतीबाई पत्नी हिम्मताराम निवासी शेखावास
31. पन्नालाल पुत्र पुखा
32. शेषाराम पुत्र पुखा
33. सोहनी देवी पुत्री लकमा
34. विद्यादेवी पुत्री भानाराम
35. फेफीदेवी पत्नी भानाराम
36. भुण्डाराम पुत्र तुलसा के का0मु0
36.1 रमेश पुत्र भुण्डाराम
36.2 चौथीदेवी पत्नी भुण्डाराम (वास्तविक रूप से रमेश पुत्र तुलसा, चौथी पत्नी तुलसा)
37. रमेश पुत्र तुलसा
38. गंवरी पुत्री तुलसा
39. सुकीया पुत्री रूपा
40. अमृती पुत्री नेमाराम

33. टीकम पुत्र जोरा
34. नेमा पुत्र ओखा
35. सोनीदेवी पत्नी भंवरलाल जातिगण सीरवी निवासीगण सवराड़ तहसील मारवाड़ जंक्शन

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

41. वालाराम पुत्र वेनाराम के का0मु0
41.1 हरीराम पुत्र वालाराम
41.2 जस्साराम पुत्र वालाराम
42. मूला पुत्र वेना लाऔलाद फौत
43. गमनाई पत्नी लुम्बाराम के का0मु
43.1 पेमाराम पुत्र लुम्बाराम
43.2 राजाराम पुत्र लुम्बाराम
43.3 पारसराम पुत्र लुम्बाराम (वास्तविक रूप से राजाराम व पारसराम मृतका गमनाई के पति लुम्बाराम के भाई वोराराम के पुत्र हैं।
44. दाखु पुत्री लुम्बाराम
45. टीपूडी पुत्री लुम्बाराम
46. पारसरामपुत्र वोराराम
47. सोहनलाल पुत्र वोराराम
48. पुखराज उर्फ पुखवा पुत्र हरींगा के का0मु0
48.1 अमरलाल पुत्र पुखराज
48.2 अणची बाई बेवा पुखराज
49. चेला पुत्र हरींगा के का0मु0
49.1 भुण्डाराम पुत्र चेला
49.2 तीजा पुत्री चेला
49.3 सायरी पुत्री चेला
49.4 धापुदेवी पुत्री चेला
49.5 कमलादेवी पुत्री चेला
49.6 शांतिदेवी पुत्री चेला
49.7 सीतादेवी पुत्री चेला
50. उदा पुत्र हेमा के का0मु0
50.1 मोहन पुत्र उदा
50.2 रमेश पुत्र उदा
50.3 प्यारी पुत्री उदा
50.4 हमजा पुत्री उदा
50.5 विमल पुत्री उदा
50.6 जीवराज पुत्र उदा
51. कालुराम पुत्र गोमाराम
52. मूली पुत्री गोमाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

53. कानाराम पुत्र थानाराम
54. उम्मेद पुत्र जोरा के का0मु0
54.1 जोराराम पुत्र उम्मेद
54.2 जोगाराम पुत्र उम्मेद
54.3 अणची पुत्री उम्मेद
55. गेनाराम पुत्र पोकरराराम
56. सुलाराम पुत्र पोकरराराम लाऔलाद फौत
57. गणेशराम पुत्र पोकरराराम
58. भीकाराम पुत्र पोकरराराम
59. तारारराम पुत्र पोकरराराम
60. भंवरलाल पुत्र भूराराम के का0मु0
60.1 रेखा पुत्री भंवरलाल
60.2 दिनेश पुत्र भंवरलाल
60.3 रमेश पुत्र भंवरलाल नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता सोहनीदेवी पत्नी भंवरलाल जातिगण सीरवी निवासीगण सवराड़ तहसील मारवाड़ जंक्शन
61. नारायण पुत्र मांगीलाल भाटी जाति माली निवासी सवराड़
62. पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र श्यामलाल जाति ओसवाल निवासी सोजत रोड़ तहसील सोजत
63. भूमिधारी जरिये तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

श्री दिलीपसिंह चारण, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स

श्री राजूराम हरियाल, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 14/2/19

-----0-----

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (उपखण्ड

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अधिकारी) मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व वाद संख्या 240/2015 नंदा कंवर बनाम दिलीप कुमार वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.04.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स की सह खातेदारी भूमि हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 का इस भूमि में 1/64वां हिस्सा निहित हैं। इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर जैर अपील विवादित आराजी में स्वयं का 1/8वां हिस्सा होना बताते हुए खातेदारी घोषित कराने एवं तद्नुसार विभाजन करवाते हुए अपीलाण्ट एवं अन्य रेस्पोडेन्ट्स को जरिये स्थाई व्यादेश से पाबन्द कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट एवं अन्य रेस्पोडेन्ट्स, जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संयोजित थे, उन्हे जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो सम्मन बाद तामील प्राप्त हुए, उनमें से अधिकांश के सम्मन आबाद मकान पर चस्पा किए गए थे तथा अधिकांश पक्षकारान् के फौत होने की रिपोर्ट आई थी। इसके पश्चात जो प्रतिवादीगण फौत हो गए थे, उनके का0मु0 को पक्षकार संयोजित करने हेतु विहित प्रावधानों के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उसी दिन एकतरफा बहस सुनी जाकर का0मु0 को रेकर्ड पर लिया गया, जबकि का0मु0 को तलब ही नहीं किया गया था। इसी दिनांक को शेष प्रतिवादीगण के सम्मन प्रचलित समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने का आदेश भी पारित किया गया। इससे अगली तारीख पेशी को एकतरफा साक्ष्य ली जाकर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई, जो विधि विरूद्ध हैं। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही कईं प्रतिवादीगण फौत हो चुके थे, इस कारण वाद मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत होने से सुनवाई योग्य ही नहीं था। जो प्रतिवादीगण फौत हो गए थे, उनके का0मु0 को कभी तलब ही नहीं किया गया तथा विधि विरूद्ध रूप से तामील मानते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधिक दृष्टिकोण से शून्य हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 15, 17 व 36 के वारिशान को रेकर्ड पर लेने हेतु कोई आवेदन पत्र ही प्रस्तुत नहीं किया, इस कारण उक्त वाद एबेट हो चुका था। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है। प्रकरण में पर्याप्त एवं समुचित तामाली हुए बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि विरूद्ध हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित करने से पूर्व न तो अपीलाण्ट को किसी भी रूप में साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किया एवं न ही विधिक प्रावधानों के तहत कोई कार्यवाही की। विधि विरूद्ध प्रक्रिया अपनाते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो खारिज़ योग्य हैं। अतः अपील स्वीकार करावें तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रक्रियागत त्रुटी को दृष्टिगत रखते हुए यदि प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है, तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं हैं।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं अनुशीलन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील का मुख्य आधार यह लिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो सम्मन अपीलाण्ट्स एवं अन्य रेस्पोडेन्ट्स के नाम जारी किए गए, वह विधिवत तामील नहीं हुए। इस तथ्य के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद दर्ज होने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो सम्मन जारी किया गया, उनमें से प्रतिवादी संख्या 4, 7, 14, 16, 20, 22, 25, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 44, 46, 53, 54, 55, 59, 60, 64, 66, 67, 68, 71, 72, 75 व 77 के नाम जारी सम्मन पर तामील कुनिन्दा की यह रिपोर्ट आई कि सम्मन खुले आबाद मकान पर नोटिस चस्पा किया गया। इस सम्बन्ध में रेवेन्यू कोर्ट्स मैन्युअल (भाग–2) के अध्याय 3 के खण्ड (ग) तथा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 नियम 16, 17, 18 और परिशिष्ट (ख) का फार्म संख्या 11 व साथ ही आदेश 3 नियम 5 में सम्मन के तामील की प्रक्रिया विहित है। प्रकरण में जो तामील प्रक्रिया प्रश्नगत की गई है, उस सम्बन्ध में आदेश 5 नियम 17 तथा नियम 19 में जो प्रावधान दर्शित है, वे इस प्रकार है – **आदेश 5 नियम 17 – "जब प्रतिवादी तामीली का प्रतिग्रहण करने से इन्कार करे या न पाया जाए, तब प्रक्रिया** –– जहॉ प्रतिवादी या उसका अभिकर्ता या उपरोक्त जैसा अन्य व्यक्ति अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करता है, या जहॉ तामील करने वाला अधिकारी सभी सम्यक् और युक्तियुक्त तत्परता बरतने के पश्चात प्रतिवादी को न पा सके (जो अपने निवास स्थान से उस समय अनुपस्थित है, जब उस पर समन की तामील उसके निवास स्थान पर की जानी है और युक्तियुक्त समय के भीतर उसके निवास स्थान पर पाये जाने की संभावना नही है) और ऐसा कोई अभिकर्ता नही है, जो समन की तामील का प्रतिग्रहण उसकी ओर से करने के लिये सशक्त है और न ही ऐसा कोई अन्य व्यक्ति है, जिस पर तामील की जा सके, वहॉ तामील करने वाला अधिकारी उस गृह के, जिसमें प्रतिवादी मामूली तौर से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिये स्वयं काम करता है, बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर समन की एक प्रति लगायेगा और तब वह मूल प्रति को उस पर पृष्ठांकित या उससे उपाबद्ध ऐसी रिपोर्ट के साथ जिसमें यह कथित होगा कि उसने प्रति को ऐसे लगा दिया है और वे कौन सी परिस्थितियां थी, जिसमें उसने ऐसा किया, कथित होगी और जिसमें उस व्यक्ति का (यदिकोई हो) नाम और पता कथित होगा, जिसने गृह पहचाना था और जिसकी उपस्थिति में प्रति लगाई गई थी, उस न्यायालय को लौटायेगा, जिसने समन निकाला था। **आदेश 5 नियम 19 – तामील करने वाले अधिकारी की परीक्षा** –– जहां समन नियम 17 के अधीन लौटा दिया गया है, वहॉ तामील करने वाले अधिकारी की परीक्षा उसकी अपनी कार्यवाहियों की बाबत न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

स्वयं या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उस दशा में करेगा या कराएगा, जिसमें उस नियम के अधीन विवरणी तामील करने वाले अधिकारी द्वारा शपथ पत्र द्वारा सत्यापित नही की गई है और उस दशा में कर सकेगा या करा सकेगा, जिसमें वह ऐसे सत्यापित की गई है और उस मामले में ऐसी अतिरिक्त जांच कर सकेगा, जो वह ठीक समझे और या तो वह घोषित करेगा कि समन की तामील सम्यक् रूप से हो गई है या ऐसी तामील का आदेश करेगा, जो वह ठीक समझे।

इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रतिवादीगण के नाम जारी सम्मन पर सूरत, बडौदा आदि अन्य स्थान, जो राजस्थान से बाहर है, वहां निवास करने की रिपोर्ट आई, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित तामील के जरिये जो समाचार पत्र में सम्मन के प्रकाशन का आदेश पारित किया, वह राष्ट्रीय स्तरीय अखबार न होकर संभाग स्तरीय संस्करण में प्रकाशित करवाया है तथा उक्त तामील को पर्याप्त माना हैं। जिन सम्मन को आबाद मकान पर चस्पा करना बताया है, उन पर दो स्वतन्त्र साक्षियों की उपस्थिति के बगैर, बिना किसी आदेश के चस्पा किए गए सम्मन को विधिवत तामील मानते हुए अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ए0आई0आर0 (राज.) 1997 पेज 174 में हरिनारायण व अन्य बनाम तोपखाना गृह निर्माण समिति व अन्य में पैरा संख्या 5 यह उद्धरित किया कि "..... In the instant case the process server did not care to use due and reasonable diligence in finding the defendants, without making efforts to find out as to when the defendants would be available next time and trying the summons on them, the process server affixed the summons on outer door. There is one more infirmity in the report of process server that he did not mention that as to by whom the house of the defendants was identified. These infirmities can not be merely termed as irregularities. I am of the considered view that the provisions of O.5 R. 17 CPC have not been complied with by the process server in the instant case"...इस आधार पर पैरा संख्या 8 में यह उद्धरित किया कि ".... In this case the learned counsel for the plaintiff though vehemently argued in support of the impugned order but I am unable to accept this contention that non-compliance of the provisions of O.5 R. 17 CPC strictly, may only be termed as irregularity and in view of provisions contained in second proviso to 0.9 R. 13 CPC, exparte decree cannot be set aside." हस्तगत प्रकरण पर यह सिद्धान्त पूर्ण रूपेण चस्पा होता है। हस्तगत प्रकरण में भी जो तामील प्रक्रिया अपनाई गई है, वह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 नियम 17 के प्रावधानों के अनुकूल नहीं पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 15, 17, 36, 40, 45, 47, 50, 57, 58, 61 व 69 के का0मु0 को सुनवाई हेतु कोई सम्मन ही जारी नहीं किया तथा विधिक प्रावधानों का दुरूपयोग करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि विरूद्ध हैं। इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय एवं डिक्री समर्थन योग्य नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व वाद संख्या 240/2015 नंदा कंवर बनाम दिलीप कुमार वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.04.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे नए सिरे से प्रकरण में कार्यवाही करते हुए प्रतिवादीगण की समुचित तामील करवा कर, मृतक पक्षकारान् के विधिक वारिशान को पक्षकार संयोजित करते हुए पक्षकारान् को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर तनकीयात कायम कर, उन पर साक्ष्य संग्रहित करते हुए साक्ष्यों के आलोक में प्रकरण के बिन्दुओं का परीक्षण कर सिविल प्रक्रिया सहिता 1908 के आदेश 20 नियम 5 के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार विनिश्चय करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 14/2/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली